बिहार विधान परिषद् सचिवालय

लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्र के संसदीय प्रणाली का राष्ट्रीय विधान मंडल (लोक सभा/राज्य सभा) संसद एवं उनके प्रान्तों या प्रदेशों/राज्यों में राज्य विधान मंडल (विधान सभा/विधान परिषद्) प्रतीक होता है। भारत के संविधान के निर्माण के समय राष्ट्रीय विधान मंडल (लोक सभा/राज्य सभा) का सचिवालय एवं राज्य विधान मंडल (विधान सभा/विधान परिषद्) का सचिवालय के गठन के लिए केन्द्रीय कार्यपालिका या राज्य कार्यपालिका के गठन से हटकर विशेष अनुच्छेद को प्रावधानित किया गया। इस अनुच्छेद-98 के अधीन केन्द्रीय विधान मंडल (लोक सभा/राज्य सभा) के सचिवालय तथा अनुच्छेद-187 के अधीन राज्य विधान सभा/परिषद् के सचिवालय के गठन को प्रावधानित किया गया है।

अनुच्छेद 187 - राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय -

(1) राज्य के विधान मंडल के सदन का या प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारिवृंद होगा:

परन्तु विधान परिषद् वाले राज्य के विधान-मंडल की दशा में, इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विधान-मंडल के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है।

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगा।

(3) जब तक राज्य का विधान मंडल खण्ड (2) के अधीन उपबंध नहीं करता है तब तक राज्यपाल, यथास्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति से परामर्श करने के पश्चात् विधान सभा के या विधान परिषद् के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे।

राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल के लिए दोनों सदन के लिए अलगअलग विधान सभा का सचिवालय - तंएवं विधान परिषद् का सचिवालय होंगे। सभा सचिवालय स्वत्र रूप से अध्यक्ष, विधान सभा तथा परिषद् सचिवालय सभापति, विधान परिषद् के अधीन होंगे। इसके पदाधिकारी तथा कर्मचारी क्रमशक्षअध्य :, विधान सभा एवं सभापति, विधान परिषद् के अधीक्षण में होंगे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, बिहार विधान परिषद् के सभापति से परामर्श के पश्चात् बिहार विधान परिषद् सचिवालय में नियुक्त कर्मचारीवृन्द (स्टाफ) की भर्त्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 बनाते हैं जो बिहार गजट के असाधारण अंक, सं.-572, दिनांक 15 जून 2018 के द्वारा प्रख्यापित है।

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018:

नियम-2 - परिभाषा - जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-

(क) "**नियुक्ति प्राधिकार**" से तात्पर्य है नियम (6) के अधीन गठित प्राधिकार;

(ख) "**भारत के नागरिक**" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो संविधान के भाग-(ii) के अधीन भारत का नागरिक हो अथवा भारत का नागरिक समझा जाता हो;

(ग) "**संविधान**" से तात्पर्य है भारत का संविधान;

(घ) "**प्रतिनियुक्ति**" से तात्पर्य है सचिवालय के किसी पदाधिकारी की सेवाएं सचिवालय से बाहर के किसी कार्यालय को अस्थायी रूप से सौंपी जानी या सचिवालय से बाहर के किसी पदाधिकारी की सेवाएं इस सचिवालय को अस्थायी रूप से सौंपी जानी;

(ङ) "**वित्त विभाग**" से तात्पर्य है बिहार राज्य-सरकार का वित्त विभाग;

(च) "**सरकार**" से तात्पर्य है यथास्थिति केन्द्र अथवा राज्य सरकार;

(छ) "**राज्यपाल**" से तात्पर्य है बिहार राज्य का राज्यपाल;

(ज) "**पद**" से तात्पर्य है सचिवालय का कोई पद, और कोई पद अनुसूची में यथा उल्लिखित समूह-क, समूह-ख एवं समूह-ग के अनुसार समूह-क, समूह-ख एवं समूह-ग का पद समझा जायेगा;

(झ) "**प्रोन्नति समिति**" से तात्पर्य है नियम (7) के अधीन गठित समिति;

(ञ) "**अनुसूची**" से तात्पर्य है इस नियमावली की अनुसूची;

(ट) "**चयन समिति**" से तात्पर्य है इस नियमावली के नियम (5) के अधीन गठित चयन समिति;

(ठ) "**सचिवालय**" से तात्पर्य है बिहार विधान परिषद् का सचिवालय;

(ड) "**सचिव**" से तात्पर्य है बिहार विधान परिषद् का सचिव;

(ढ) "**सभापति**" से तात्पर्य है बिहार विधान परिषद् का सभापति;

(ण) "**उपसभापति**" से तात्पर्य है बिहार विधान परिषद् का उपसभापति;

(त) "**भर्ती-वर्ष**" से तात्पर्य है कैलेंडर वर्ष ।